

61

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 08/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनू।

— प्रार्थी

बनाम

रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट- प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट- अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 296 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 705 रकबा 0.66 है0 किस्म बंजड़ 2 की गैर खातेदारी रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:-

क्र.स.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012-2015	194	15 बीघा 8 बिश्वा	बंजड़ दोयम	पाना मुस्तरका राजकीय हिस्सा 1/2 पाना संग्राम सिंह जी हिस्सा 1/2
2	2015-2018	194	15 बीघा 8 बिश्वा	बंजड़ दोयम	सरकार
3	2017-2020	194	14 बीघा 2 बिश्वा	बंजड़ दोयम	सरकार
4	2021-2024	194	2 बीघा 12 बिश्वा	बंजड़ दोयम	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
5	2025-2028	194/6	2 बीघा 12 बिश्वा	बंजड़ दोयम	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029-2032	194/6	2 बीघा 12 बिश्वा	बंजड़ दोयम	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
7	2033-2036	194/6	2 बीघा 12 बिश्वा	बंजड़ दोयम	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
8	2042-2045	194/6	2 बीघा	बंजड़	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम

कलक्टर झुंझुनू

			12 बिश्वा	दोयम	गैर खातेदार
9	2046-2049	194/6	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ दोयम	रामेश्वर पुत्र मेघा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060-2063	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
11	2062-2065	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
12	2063-2066	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
13	2067-2070	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम गैर खातेदार
14	2071-2074	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम गैर खातेदार
15	2074-2077	705	0.66 है०	बंजड़ 2	रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012-2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफ़ी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना-पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना-पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 296 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 705 रकबा 0.66 है० किस्म बंजड़ 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 29.09.2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 194, 194/6 हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.66 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है। वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिए कार्य में नहीं ली जा रही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के द्वारा सम्वत् 2021 से ही लम्बे समय से कब्जा काश्त की जा रही है। अप्रार्थी की आय का कोई स्रोत नहीं है केवल कृषि कार्य पर निर्भर है। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। भू-राजस्व

पिला कलाकर

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अप्रार्थीगण की ओर से तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि आवंटित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु तहसीलदार झुंझुनू द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की पालना नहीं की है। आवंटन नियमों के तहत 3 वर्षों उपरान्त ही आवंटी को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अप्रार्थी के नाम कृषि जो पासबुक दिनांक 05.05.2006 में जारी की गई थी जिसमें पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार झुंझुनू के हस्ताक्षर हैं। इससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 705 रकबा 0.66 है0 किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012-2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 194 की गैर खातेदारी रामेश्वर पुत्र मेघाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनू सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि में मूंग-बाजरा काश्त हो रही है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है। गिरदावरी में भी काश्त का अंकन है। विवादित भूमि के क्रम में फौतगी नामान्तरकरण भी भरा गया है। विवादित जमीन हमें सरकार ने दी है। विवादित भूमि पर हमारा लगातार कब्जा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग में काम में नहीं आ रही है। अप्रार्थी को विवादित भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 296 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0न0 705 रकबा 0.66 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :-

1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी सम्वत् 2021 से अप्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।

2. अप्रार्थी का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाडी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 194 सम्वत् 2012 से वर्ष 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी

जिला कलक्टर

अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से 2024 अर्थात् 54 साल से अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बंजड़ द्वितीय है तथा अप्रार्थी भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब में विवादित आराजी की खातेदारी दिये जाने की गुजारिश की है। इस हेतु अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। आदेश की प्रति प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुंझुनू
(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

29/10